फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री पन्नालाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 73/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.05.2022 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प डबोक से बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम पन्नाबाई पुत्री लोगर गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत डबोक द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प./2022–23 दिनांक 23.05.2022, 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम पन्नालाल पुत्र लोगर अंकित है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम पन्नालाल होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट में पन्नालाल का नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र में पन्नाबाई व पन्नालाल को एक ही व्यक्ति होना बताया। उक्त खाते के सहखातेदार नाथु पिता लोगर भील द्वारा भी नाम को दुरूस्त किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 3337, 3338, 3343 से 3345 किता 5 रकबा 0.9712 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3310 रकबा 0.5342 हेक्टेयर भूमि में खातेदार पन्नाबाई पुत्री लोगर के बजाय पन्नालाल पुत्र लोगर भील संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। (सुनील शर्मा) उपखण्ड अधिकारी मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2022.06.01 12:30:29 IST
Reason: SelfAttested